

सभी स्टाफ पेंशनरों के लिए सूचना


विषय: बैंक ऑफ़ बड़ौदा के स्टाफ पेंशनरों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना (जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक बढ़ाना)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रत्येक स्टाफ पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर के महीने में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है.

हालांकि, कोविड -19 महामारी को देखते हुए और कोरोना वायरस हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा समयसीमा को बढ़ाने निर्णय लिया गया है. इस वर्ष स्वयं एवं फैमिली पेंशनर्स 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. स्टाफ पेंशनरों को आसानी से जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के प्रयास में, पूर्व-कर्मचारी पोर्टल पर जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए यूआरएल - [https://easiest.bobinside.com:8443/ex\\_empmodule](https://easiest.bobinside.com:8443/ex_empmodule) है. अनुपालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया पूर्व-कर्मचारी पोर्टल पर उपलब्ध है.

पूर्व-कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों को पेंशन भुगतानकर्ता शाखा द्वारा सत्यापित किया जाएगा. बढ़ाई गई अवधि के दौरान, पेंशन को निर्बाध रूप से भुगतान किया जाएगा. ऐसे मामले जहां सत्यापन शाखाओं द्वारा अनुमोदन के लिए लंबित होगा, वहां जनवरी 2021 से पेंशन बंद कर दी जाएगी.

अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई हो, कृपया हमसे ई मेल [pension.ho@bankofbaroda.com](mailto:pension.ho@bankofbaroda.com) या टेलीफोन 02652316640 पर संपर्क करें.



एस कन्नन

प्रमुख (एचआरसीपीसी एवं सेवान्त लाभ)



दिनांक: 29.09.2020

